

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

45 / 2021
13.10.2016

प्रहलाद पुत्र नाथू बैरवा निवासी डोकरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

बनाम

—अपीलान्त

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक
24.08.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री कृष्ण गोपाल चौधरी, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री घसीडिया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

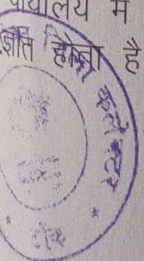
दिनांक 22.02.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2021 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 3020/11 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 3050/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी—2 वाके ग्राम डोकरिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस निवेदन किया कि अपीलांत ने आराजी खसरा नम्बर 3020/11 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 3050/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम डोकरिया पर से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान में अपीलांत का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं है और भविष्य में कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नहीं करेगा। अपीलांत को दी गई सिविल कारावास की सजा में नरमी का रुख अपनाया जावे। अतः अपील अपीलान्त सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्त की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी है कि अपीलान्त ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण



मातारकत जिला कलेक्टर
टोंक

किया था। अतिक्रमी बारानी-2 भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3020/11 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 3050/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी-2 वाके ग्राम डोकरिया तहसील मालपुरा पर मूंग की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बारानी-2 भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी माना है, जिस दोष सिद्धी में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार हमारे समक्ष नहीं है। अतः दोष सिद्धी की पुष्टि की जाती है।

जहां तक सिविल कारावास की सजा में नरमी का रुख अपनाये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3020/11 रकबा 8 बीघा व खसरा नम्बर 3050/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी-2 वाके ग्राम डोकरिया पर से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान में अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं है और भविष्य में कभी भी राजकीय भूमि अथवा उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



22-2-22
(मुरारी लाल शर्मा)
अति. जिला कलेक्टर, टाक
टाक